सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2023/204 दर्ज तिथिः–03.07.2023

1. श्रीमति गंगादेवी पत्नी मालाराम जाति सुथार निवासी गोलिया जेतमाल, तहसील नोखड़ा जिला बाडमेर

................अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल जरिये सरपंच गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
2. डुगराराम पुत्र मगाराम
3. देवाराम पुत्र राउराम
4. भूरीदेवी पत्नी राउराम
5. सुआदेवी पत्नी चनणाराम
6. दीपाराम पुत्र मालाराम
7. मूलीदेवी पत्नी सुखाराम
   समस्त जाति सुथार निवासी गोलिया जेतमाल तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।
8. श्रीमान तहसीलदार नोखड़ा।

..................असल प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– श्री रामजीवण विश्नोई
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–75
राज. भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतः विवरण इस प्रकार से हैः–
   - कि हाल आराजी खसरा 515/1.9830 है0 572/5.0909 है0 मौजा गोलिया जेतमाल तहसील नौखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी 515/1.9830 है0 मे अपीलार्थी का 1/4 हिस्सा निहित था। साथ ही उक्त आराजी 572/5. 0909 है0 मे अपीलार्थी का 1/6 हिस्सा निहित था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2019 को एक पंजीकृत दस्तावेज द्वारा खसरा संख्या 515 में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:56 IST
Reason: SelfAttested

1 / 10 हिस्से की आराजी 1.225 बीघा तथा 572 रकबा 31.09 बीघा में से अपीलार्थी का 1 / 20 हिस्से की आराजी 1.576 बीघा कुल 2.16 बीघा भूमि का प्रत्यर्थी को बेचान किया गया। परंतु उक्त बेचान का नामांतरकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 गलत रूप से दर्ज किया गया। अपीलार्थी के खसरा संख्या 572 रकबा 31.09 बीघा में 1 / 6 हिस्से का हक निहित था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2019 द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31.09 बीघा में से केवल 1 / 20 हिस्से अर्थात 1.576 बीघा भूमि का बेचान किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की खसरा संख्या 572 में 3.669 बीघा भूमि शेष बचती है। इसी प्रकार खसरा संख्या 515 में से 1 / 10 हिस्से की आराजी 1.225 बीघा भूमि का प्रत्यर्थी को बेचान किया गया। इस प्रकार खसरा संख्या 515 में अपीलार्थी की 1.8375 बीघा आराजी शेष है। परंतु बेचान दिनांक 27.06.2019 का नामांतरकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 दर्ज कर खसरा संख्या 515 एवं 572 में अपीलार्थी का संपूर्ण हिस्सा प्रत्यर्थी के नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड से अपीलार्थी का नाम ही कलमजन कर दिया।

- इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 गलत दर्ज किया गया है। खसरा संख्या 515 एवं 572 में अभी भी अपीलार्थी की आराजी निहित है। इस प्रकार नामांतरकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल को कानूनन हक के विपरीत होने व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने के कारण निरस्त करते हुए उक्त आराजी में अपीलार्थी का शेष हिस्सा दर्ज करने का आदेश देते हुए पुनः नामांतकरण दर्ज करने का आदेश जारी कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। समस्त प्रत्यर्थी विधिवत तामील उपस्थित न्यायालय नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में अपील के निस्तारण से पूर्व अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के उपशमन के लिये प्रार्थी द्वारा परिसीमा अधिनियम—1963 की धारा—05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र का निर्णयन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया गया है कि ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा दिनांक 05.11.2019 को नामांतरकरण संख्या 98 पारित किया गया। जिसमें अपीलार्थी की सम्पूर्ण आराजी का बैचान बताया जाकर नामांतरकरण गलत रूप से पारित किया गया। परंतु उक्त बैचान नामांतरकरण के पश्चात् भी अपीलार्थी की आराजी शेष है तथा उक्त शेष आराजी पर अपीलार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी पर केसीसी प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त करनी चाही। तब अपीलार्थी को सर्वप्रथम उक्त आराजी में अपना नाम नहीं होने का ज्ञान हुआ। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2023 को नामांतरकरण संख्या 98 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। उक्त नामांतरकरण के माध्यम से अपीलार्थी का सम्पूर्ण हिस्सा बैचान किया हुआ होना ज्ञात हुआ। अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होने से अपीलार्थी का उक्त नामांतरकरण के संबंध में पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी। अंत

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:56 IST
Reason: SelfAttested

में अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को नामांतरकरण संख्या 98 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 21.06.2023 को प्राप्त होने पर अन्दर म्याद उक्त अपील प्रस्तुत कर सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा दिनांक 05.04.2019 को उक्त नामांतरकरण संख्या 98 पारित किया गया है। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा लगभग 1503 दिवस की लम्बी अवधि के पश्चात् दिनांक 03.07.2023 को उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस है कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होने के कारण अपीलार्थी को उक्त नामांतरकरण के संबंध में ज्ञान नहीं हुआ। परंतु अपीलार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करता आ रहा है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी पर केसीसी प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर सर्वप्रथम अपीलार्थी को उक्त आराजी में अपना नाम नहीं होने ज्ञात हुआ। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.06.2023 को नामांतरकरण की प्रतिलिपि प्राप्त कर 13 दिवस के भीतर उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलार्थी के बैचान के पश्चात् शेष आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा होने एवं अपीलार्थी को अपने विरूद्ध हुई नामांतरकरण कार्यवाही का ज्ञान होने पर निश्चित अवधि में सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से अपीलार्थी अपने विरूद्ध हुई कार्यवाही के प्रति संवेदनशील प्रतीत होता है।

5. साथ ही प्रकरण में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी उक्त शेष आराजी पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करता आ रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि के काश्तकार राजस्व इन्द्राज के दुरूस्त रहने को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं एवं राजस्व कार्मिकों से नियमित रूप से अपने राजस्व इन्द्राज की जानकारी नहीं लेते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ–साथ अपनी आराजी पर आकस्मिक कोई कार्य उत्पन्न होने पर ही राजस्व कार्मिकों से अपने आराजी के राजस्व इन्द्राज की जानकारी लेते हैं। साथ ही ग्रामीण पृष्ठभूमि के काश्तकार ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड की समझ व तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण अपने स्तर पर अपने राजस्व इन्द्राज के लिये राजस्व कार्मिकों पर ही निर्भर रहते हैं। अतः प्रकरण में अपीलार्थी के ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने से भी अपीलार्थी को बैचान के नामांतरकरण से दर्ज किये गये राजस्व इन्द्राज का ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक प्रतीत होता है।

6. इसी प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपने बैचान दस्तावेज के अमलदरामद के नामांतरकरण संख्या 98 के विरूद्ध परिसीमा के तहत अपील प्रस्तुत नहीं करने के कारण परिसीमा अधिनियम–1963 की धारा–05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण में निहित प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकार को अकारथ अन्याय हुआ है तथा परिसीमा अवधि के कारण पक्षकार के न्याय के रास्ते बंद हो चुके हैं, उन प्रकरणों में न्यायालय देरी के उपशमन के मामलों में प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के मामलों में व्यापक देरी का उपशमन करने हेतु अपने विवेक एवं अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग कर सकता है। इससे प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के मामलों में व्यापक देरी का उपशमन करते हुए पक्षकार को अपना प्रकरण पुनः न्यायालय के समक्ष रखने हेतु एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णयन करने हेतु न्याय के दरवाजे खोलने की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में भी अपीलार्थी को बिना सुने राजस्व रिकॉर्ड के अपीलार्थी की समस्त आराजी प्रत्यर्थी के नाम दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड पर सम्पूर्ण हिस्सा कलमजन कर दिया। निःसन्देह इस प्रकार कार्यकरण से अपीलार्थी के पक्ष में अकारथ अन्याय होना प्रतीत होता है। अतः न्यायालय इससे प्रकरण में हुये अकारथ अन्याय के हस्तगत मामले में व्यापक देरी का उपशमन करते हुए पक्षकार को अपना प्रकरण पुनः न्यायालय के समक्ष रखने हेतु एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णयन करने हेतु न्याय के दरवाजे खोलने की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करना उचित समझता है। अतः उक्त आधारों पर प्रार्थी का परिसीमा अधिनियम–1963 की धारा–05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का उपशमन किया जाता है।

7. अब प्रार्थी का परिसीमा अधिनियम–1963 की धारा–05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का उपशमन होने के पश्चात् प्रकरण नामांतरकरण दर्ज करने की प्रक्रिया पर विश्लेषण किया जाना उचित प्रतीत होता है। सर्वप्रथम प्रकरण में नामान्तकरण दर्ज करने के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया व प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

121. **General instructions.-**

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land the caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance. the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

(v) The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order giving the number of the fields affected and their total area thus "Dakhil Kharij Numberan Fallan Raqba Fallan Manzor Hai" No recital of the facts on which the order is based should be entered in the counterfoil.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:56 IST
Reason: SelfAttested

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार नामान्तकरण निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रकिया का अनुसरण करने के प्रावधान बनाये गये हैः–

प्रकिया	प्रावधान
1	*The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.*
2	*The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,*
3	*the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,*
4	*what opportunity was given to him to present,*
5	*who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.*
6	*but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,*
7	*the facts which they deposed and the grounds of the order.*
8	*The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.*

9. प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा द्वारा निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करने के उक्त प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

प्रकिया	विश्लेषण
The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.	नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना की गई है
The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,	नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों के विवरण तथा उनकी उपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,	नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों से प्राप्त साक्ष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:56 IST
Reason: SelfAttested

	प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।
what opportunity was given to him to present,	नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों को प्रदान किये गये सुनवाई/उपस्थिति के अवसरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.	नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों की उपस्थिति की परिस्थिति में पक्षकारों की पहचान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,	नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों/व्यक्तियों से फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जांच/जिरह के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
the facts which they deposed and the grounds of the order.	नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा निर्णय के तथ्यों/आधारों के बारे में कोई उल्लेख/जिक्र नहीं किया है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.	नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण की पुष्ट पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के ऑपरेटिव भाग के संक्षिप्त विवरण के बारे में कोई उल्लेख/जिक्र नहीं किया है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*

10. इस प्रकार प्रकरण में नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा के उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल तहसील नोखड़ा को फैसल करते समय ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है।

11. अब प्रार्थी का परिसीमा अधिनियम–1963 की धारा–05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का उपशमन होने के पश्चात्

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण का गुणावगुण पर विश्लेषण किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में तहसीलदार नौखड़ा व गुड़ामालानी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक/रीडर/2025/104 दिनांक 21.01.2025 द्वारा प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट से निम्न तथ्य सामने आते है–

- ❖ बेचान दस्तावेज 21.06.2019 में प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार अपीलार्थी गंगादेवी का खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/6 हिस्सा तथा खसरा संख्या 515 में 1/4 हिस्सा निहित था। इस प्रकार अपीलार्थी गंगादेवी का खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/6 हिस्से अनुसार कुल 5.1816 बीघा भूमि हिस्से में आती है तथा खसरा संख्या 515 रकबा 12.05 बीघा में 1/4 हिस्से अनुसार 3.0125 बीघा भूमि हिस्से में आती है।
- ❖ तत्समय की जमाबंदी अनुसार अपीलार्थी गंगादेवी का खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/6 हिस्सा तथा खसरा संख्या 515 रकबा 12.05 बीघा में 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था।
- ❖ बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 515 में से 1/10 हिस्से की आराजी 1.225 बीघा तथा 572 रकबा 31.09 बीघा में से अपीलार्थी का 1/20 हिस्से की आराजी 1.576 बीघा कुल 2.16 बीघा भूमि का बेचान करने का उल्लेख किया गया है।
- ❖ बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 515 में से 1/10 हिस्से की आराजी 1.225 बीघा तथा 572 रकबा 31.09 बीघा में से अपीलार्थी का 1/20 हिस्से की आराजी 1.576 बीघा कुल 2.16 बीघा भूमि पर ही स्टांप ड्यूटी की गणना व राशि जमा की गई है।
- ❖ बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 515 में से 1/10 हिस्से की आराजी 1.225 बीघा तथा 572 रकबा 31.09 बीघा में से अपीलार्थी का 1/20 हिस्से की आराजी 1.576 बीघा कुल 2.16 बीघा भूमि के बेचान के पश्चात नामांतरकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 द्वारा अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन कर क्रेता का नाम दर्ज कर दिया गया।

12. इस प्रकार के प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बेचान दस्तावेज 21.06.2019 में प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार अपीलार्थी गंगादेवी का खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/6 हिस्सा तथा खसरा संख्या 515 में 1/4 हिस्सा निहित था। साथ ही तत्समय की जमाबंदी अनुसार अपीलार्थी गंगादेवी का खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/6 हिस्से के स्थान पर अपीलार्थी का केवल 1/20 हिस्सा तथा खसरा संख्या 515 में 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/10 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड था। इस प्रकार अपीलार्थी गंगादेवी का खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/6 हिस्से अनुसार कुल 5.1816 बीघा तथा खसरा संख्या 515 में 1/4 हिस्से अनुसार कुल 3.0125 बीघा भूमि हिस्से में आती है। साथ ही बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/20 हिस्सा अर्थात 1.576 बीघा तथा खसरा संख्या 515 में 1/10 हिस्सा अर्थात 1.225 बीघा भूमि का बेचान करने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/20 हिस्सा अर्थात 1.576 बीघा तथा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:56 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 515 में 1/10 हिस्सा अर्थात 1.225 बीघा भूमि के बेचान पर कुल रकबा 2.16 बीघा भूमि पर ही स्टांप ड्यूटी की गणना व राशि जमा की गई है।

13. इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रकार अपीलार्थी गंगादेवी का खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/6 हिस्से अनुसार कुल 5.1816 बीघा तथा खसरा संख्या 515 में 1/4 हिस्से अनुसार कुल 3.0125 बीघा भूमि हिस्से में आती है। साथ ही बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/20 हिस्सा अर्थात 1.576 बीघा तथा खसरा संख्या 515 में 1/10 हिस्सा अर्थात 1.225 बीघा भूमि का बेचान करने के पश्चात् अपीलार्थी की खसरा संख्या 515 व 572 में आराजी शेष रहती है। क्योंकि बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/20 हिस्सा अर्थात 1.576 बीघा तथा खसरा संख्या 515 में 1/10 हिस्सा अर्थात 1.225 बीघा भूमि के बेचान पर कुल रकबा 2.16 बीघा भूमि पर ही स्टांप ड्यूटी की गणना व राशि जमा की गई है। उक्त अपीलार्थी की खसरा संख्या 515 व 572 में शेष आराजी का अपीलार्थी द्वारा बैचान नहीं किया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी की खसरा संख्या 515 व 572 में शेष आराजी का राजस्व इन्द्राज नामांतरकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 के पूरी तरह कलमजन नहीं किया जाकर शेष आराजी का राजस्व इन्द्राज बदस्तूर अपीलार्थी के नाम रखना उचित था। इस प्रकार बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/20 हिस्सा अर्थात 1.576 बीघा तथा खसरा संख्या 515 में 1/10 हिस्सा अर्थात 1.225 बीघा भूमि का बेचान करने के पश्चात् अपीलार्थी की खसरा संख्या 515 व 572 में शेष आराजी अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त आधारों पर उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतकरण संख्या 98 दिनांक 05.11.2019 मौजा मगासर ग्राम पंचायत गोलिया जेतमाल की दिनांक–05.11.2019 की कार्यवाही निरस्त की जाती है। मौजा मगासर तहसील नौखड़ा के बेचान दिनांक 21.06.2019 में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 572 रकबा 31–09 बीघा में 1/20 हिस्सा अर्थात 1.576 बीघा तथा खसरा संख्या 515 में 1/10 हिस्सा अर्थात 1.225 बीघा भूमि का बेचान करने के पश्चात् अपीलार्थी की खसरा संख्या 515 व 572 में शेष आराजी अपीलार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:45:56 IST
Reason: SelfAttested